FIELD CLUB

(ONLY FOR MEMBERS)

ESTD. 1931

FATEHPURA, UDAIPUR - 313 001 (RAJ.)

Tel.: 0294 - 2416199, 2560105, Fax : 0294 - 2421312

Website : www.fieldclubindia.com, E-mail : fieldclubindia@fieldclubindia.com

(वार्षिक साधारण सभा दिनांक 17.11.2024 सायं 5 बजे)

क्लब उपाध्यक्ष श्री राकेश चोर्डिया द्वारा सायं 5 बजे वार्षिक आम सभा में निर्धारित संख्या में सदस्य ना होने की वजह से सभा को आधे घण्टे हेतु मुल्तवी किया तत्पश्चात् सायं 5.30 बजे वार्षिक आम सभा में पधारे हुए सभी क्लब सदस्यों का स्वागत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करने का निवेदन किया एवं क्लब मानद सचिव श्री उमेश मनवानी से वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।

मानद सचिव श्री उमेश मनवानी ने सभी पधारे हुए सभी सदस्यगणों का स्वागत किया एवं वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही शुरू की :–

AGENDA NO. 1 : TO APPROVE THE MINUTES OF THE EOGM HELD ON 2TH MAY 2024 :

मानद सचिव श्री उमेश मनवानी द्वारा सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि असाधारण आम सभा दिनांक 2 मई 2024 के मिनिट्स सभी सदस्यों के घर पर अनुमोदन हेतु भेज दिये गये थे एवं सदस्यों से मिनिट्स में यदि कोई आपत्ति हो तो बताने का अनुरोध किया।

क्लब सदस्य श्री चेतन लुणदिया ने कहा कि पिछली असाधारण आम सभा में 7 आश्रित सदस्य जिनकी उम्र निर्धारित उम्र से अधिक थी और सदन द्वारा सदस्य बनाने हेतू अनुमति दी थी, के नाम मॉगे थे वो आज तक सदन को नहीं बताये गये । उन्होंने कहा कि यदि सदन में पास हुई संख्या/निर्णय से हट कर यदि कोई कार्य किया जाए तो सदन द्वारा इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिये ?

डॉ अन्जु गहलोत द्वारा कहा गया कि महाराणा महेन्द्र सिंह जी मेवाड के नाम पर शोक सभा रखी जानी चाहिये एवं उन्होंने आगे बताया कि विधान की नियम 5 क्रिमिनल प्रोसिजर में अब परिवर्तन हो गया है, उसमें तदानुसार परिवर्तन करना चाहिये।

मानद सचिव श्री उमेश मनवानी ने बताया कि क्लब अध्यक्ष स्वर्गीय महाराणा सा0 श्रीमान् महेन्द्र सिंह जी मेवाड की शोक सभा इस सभा के अन्त में रखी जायेगी एवं जहॉ तक विधान में परिवर्तन का प्रश्न है उसके तहत सदस्य द्वारा आम सभा से 15 दिन पूर्व एक लिखित पत्र क्लब में इस आशय का देना होता है जो कि क्लब के सभी सदस्यों को भेजा जाना अनिवार्य होता है, तत्पश्चात ही आम सभा में बहुमत के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। विधान परिवर्तन आज की साधारण आम सभा में नहीं हो सकता है। इस हेतु डॉ अन्जू गहलोत को आगामी आम सभा से 15 दिन पूर्व लिखित पत्र देने का अनुरोध किया गया।

श्री चेतन लुणदिया के सवाल के उत्तर में सचिव श्री उमेश मनवानी ने बताया कि 7 ओवरएज आश्रितों को सदस्य बनाने के बाद 15–16 बच्चों के अभिभावकों द्वारा आपत्ति की गयी कि आपने एजेण्डा में इस तरह का बिन्दु नहीं लिखा है और समानता के अधिकार के नाते हमारे बच्चों को भी सदस्य बनाया जाये। हमने वरिष्ठ अधिवक्ता से कानूनी सलाह ली, एवं उन द्वारा यह परामर्श दिया गया कि समानता के अधिकार में किसी सदस्य के हक को मना नहीं कर सकते है और यह सुझाव दिया गया कि आप इन ओवरएज आश्रितों को प्रोविजनल सदस्य बना सकते है और तत्पश्चात् वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन करा सकते है और अब यदि आज की इस सभा में यदि सदन इसे अस्वीकार करती है तो उन सभी ओवरएज सदस्यों की सदस्यता भी हटा दी जावेगी। हमने ओवरएज आश्रित सदस्यों के अभिभावकों से भी इस आशय की अण्डरटेकिंग ले ली है कि यदि आम सभा में यह सदस्यता पारित नहीं होती है तो उन सभी प्रोविजनल सदस्यों को स्वतः निरस्त माना जाएगा। इस तरह पूरी प्रक्रिया के तहत कार्य किया गया है विधान के परे जाकर नहीं।

पूर्व सचिव श्री यशवंत ऑचलिया द्वारा कहा गया कि जब विधान में 25 वर्ष है तो इस तरह के आश्रितों को नहीं बनाना चाहिये क्योंकि जो नियमानुसार 25 वर्ष की आयु से पहले बन गये फिर उन्होंने क्या गलत किया । यदि ऐसे आश्रितों को बना दिया तो उनसे अतिरिक्त फीस चार्ज की जानी चाहिये । बार बार इस तरह के प्रश्न पर चर्चा नहीं होने चाहिये । यदि सदन चाहे तो आयु सीमा 30 या 32 साल कर देवें।

पूर्व सचिव श्री एस पी छाबडा द्वारा कहा गया कि कुछ वर्ष पूर्व भी एक कमेटी बनाकर मात्र रू 10000/–अतिरिक्त लेकर 40–40 वर्ष के ओवरएज आश्रितों को सदस्य बना दिया गया था, तब इस तरह का विरोध किसी ने नहीं किया जबकि आज आपत्ति करने वाले सदस्य उस समय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। कार्यकारिणी में रहते हुए भी उन द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया और आज सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करने हेतु आपत्ति की जा रही है उन द्वारा कुछ आश्रित सदस्य यदि अधिक बन गये है तो कोई गलत कार्य नहीं है उनसे कुछ अतिरिक्त चार्ज किया जा सकता है। क्लब सदस्य इस बात पर ध्यान देवें कि इस कार्यकारिणी द्वारा क्लब की जमीन को अपने खाते में चढाने हेतु जो कार्य किया है आये दिन जोधपुर /जयपुर जाकर कोर्ट में पैरवी करना, केवियट लाना, कानूनी लडाई लडना प्रशंसनीय है, इस पर सभी सदस्यों ने तालियॉ बजाकर कार्यकारिणी के इस प्रयास की प्रशंसा जाहिर करी ।

श्री हेमन्त श्रीमाली द्वारा कहा गया कि यदि कोई ओवरएज आश्रित सदस्य बन गये है तो बाकि जो बचे उनको भी बना दिया जाना चाहिये । श्री हेमन्त श्रीमाली द्वारा कुछ अशोभनीय शब्दों को उपयोग करने पर उपाध्यक्ष श्री राकेश चोर्डिया द्वारा उनको रोका गया एवं आगे से इस तरह की शब्दावली प्रयोग नहीं करने के लिये आदेशित किया।

क्लब उपाध्यक्ष श्री राकेश चोर्डिया द्वारा सभी सदस्यों को 5 मिनिट तक ही बोलने के लिये निवेदन किया गया और कहा कि यदि इससे ज्यादा बोलना है तो चेयर की आज्ञा लेकर बोल सकते है एवं सदस्यों को अशोभनीय शब्दावली का उपयोग नहीं करने के लिये निर्देशित किया।

क्लब सदस्य श्री गजेन्द्र सोमानी द्वारा कहा गया कि कार्यकारिणी को विधान के अनुसार ही कार्य किया

जाना चाहिये यदि कुछ ओवरऐज आश्रितों को यदि बना दिया गया है तो बाकी सदस्यों के आश्रितों को भी बना देना चाहिये।

मानद सचिव श्री उमेश मनवानी ने बताया कि वर्ष 2023 की वार्षिक साधारण सभा के बाद कुछ सदस्यों ने ओवरएज आश्रितों के कुछ ही सदस्यों के बनाने पर आपत्ति की। उन सदस्यों द्वारा यह पक्ष रखा कि उनके बच्चे भी किसी कारणवश सदस्य नहीं बन पाए एवं कहा कि क्लब आम समा में यदि कोई मौका दिया जाये तो वो सभी सदस्यों को दिया जाए न कि केवल वहॉ उपस्थित सदस्यों को । तत्पश्चात् हमने उन सदस्यों को आगामी वार्षिक सभा में तय करने का आश्वासन दिया। हमने इस तरह के सदस्यों के अभिभावकों से अण्डरटेकिंग भी ले ली है कि यदि वार्षिक साधारण सभा इसे अस्वीकार करती है तो उनकी सदस्यता को स्वीकृत नहीं माना जायेगा। लेकिन यहॉ यह निवेदन करना आवश्यक है कि यदि हम विधान में कोई परिवर्तन करते है तो पहले सभी सदस्यों के पास सूचना जाना आवश्यक है क्योंकि जो सदस्य उस दिन क्लब में नहीं आए, वे इस तरह की जानकारी से वंचित रह गए जिससे उनका अहित होता, मानद सचिव द्वारा यह भी कहा गया कि क्लब के 5–7 लीगल केस चल रहे और हम नहीं चाहते है कि उनमें इजाफा हो।

पूर्व सचिव श्री सुधीर बक्षी द्वारा ओवरएज सदस्यों को बनाने के सन्दर्भ में कहा गया कि इस बात के प्रोविजन की सूचना सभी सदस्यों को एक पत्र द्वारा आयु सीमा एवं दिनांक तय करके भेजी जानी चाहिये, ताकि उसके पश्चात कोई भी सदस्य इस बात का विरोध नहीं कर सके और न ही उसका अधिकार बन पाए। आगे से किसी भी तरह के परिवर्तन के लिये विधान की एक कमेटी बनाकर तय करना चाहिये। किसी भी तरह के परिवर्तन के लिये 21 दिन पहले सभी सदस्यों के पास नोटिफिकेशन जाना चाहिये तत्पश्चात कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक साधारण सभा में निर्णय लिया जा सकता है।

विधान में परिवर्तन इस तरह कि प्रक्रियानुसार होना चाहिये न की साधारण सभा में हाथ खडे करके।

पूर्व कोषाध्यक्ष सीए कर्तव्य शुक्ला द्वारा आवेरएज आश्रित सदस्यों के बारे में कहा गया कि क्लब में इस तरह के सदस्य बनाना पूर्व कई वर्षों से चल रहा है, वर्तमान कार्यकारिणी के सम्मान में अभी तक जो कार्य हो गया है उसको स्वीकार किया जाये एवं आगे से विधान में परिवर्तन के बिना कोई सदस्य नहीं बनावे क्योंकि क्लब के 4000 सदस्य हो गये है।

पूर्व सचिव श्री सुधीर बक्षी द्वारा कहा गया कि इस आशय का एक नोटिस बनाकर सभी सदस्यों को भेज दिया जाना चाहिए एवं उसके बाद इस तरह किसी को भी सदस्य को नहीं बनाया जाये ।

पूर्व सचिव श्री टीनु माण्डावत द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

क्लब सदस्य श्री जसनीत सिंह पाहवा द्वारा इस विषय पर एक तारीख सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया गया और सदन द्वारा इसका समर्थन किया गया।

क्लब उपाध्यक्ष श्री राकेश चोर्डिया द्वारा सदन को सम्बोधित कर कहा गया कि इस सम्बन्ध में गत 2–3 साल तक का समय के जो आश्रित रह गये उसकी फीस निर्धारित कर दी जानी चाहिये एवं किस तारीख तक अन्तिम अवधि रखना है यह सदन के निर्णयानुसार होगा। इनके द्वारा इस सम्बन्ध में 27 वर्ष तक की आयु करने सुझाव दिया गया।

पूर्व सचिव श्री यशवंत ऑचलिया ने इस ओवरएज आश्रित के विषय में आयु सीमा एवं एक तारीख निश्चित कर दिये जाने पर जोर दिया। इन्होंने आगे कहा कि इसके पश्चात् कोई भी ओवरएज आश्रित सदस्य नहीं बनना चाहिये।

क्लब सदस्य श्री विवेक व्यास द्वारा इस हेतु 1 लाख अतिरिक्त फीस लेने का सुझाव दिया गया।

क्लब सदस्य श्री हेमन्त श्रीमाली द्वारा विधान की आयु 25 वर्ष को यथावत रखकर कोरोना के बाद से अब तक जो भी ओवरएज हुए है उन सबको बनाने एवं फीस तय करने का सुझाव दिया गया।

मानद सचिव श्री उमेश मनवानी द्वारा यह आयु सीमा 28 रखने का सुझाव दिया गया।

श्री विवेक शर्मा द्वारा 35 आयु का सुझाव दिया जो चेयरमेन श्री राकेश चोर्डिया द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

अन्ततः प्रतिवर्ष 20000/– बीस हजार मात्र अतिरिक्त फीस लेकर आयु सीमा 28 तक एवं अन्तिम दिनांक 31 दिसम्बर 2024 लेना स्वीकृत हुआ/पारित हुआ।

क्लब सदस्य श्री यशवर्धन राणावत द्वारा सुझाव दिया गया कि क्लब की सदस्यता के पैरामीटर को इतना उच्च स्तरीय कर दिया जाये की सामर्थ्यवान व्यक्ति ही इस क्लब का सदस्य बन सके। वर्तमान कार्यकारिणी कि प्रशंसा करते हुए रचनात्मक कार्यप्रणाली के लिये अनुशंसा की। उन द्वारा आगे यह कहा गया कि वाकई में क्लब में अब जो वातावरण में परिवर्तन हुआ है उससे क्लब आने की इच्छा होने लगी है, पारिवारिक माहौल में इजाफा हुआ है।

क्लब के वरिष्ठ सदस्य श्री सुरेन्द्र गुप्ता द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी के अच्छे कार्य करने पर बधाई दी और कहा कि इस कमेटी ने अविश्वसनीय कार्य किया है। उन द्वारा ओवरएज आश्रित सदस्य बिन्दु पर एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया एवं वार्षिक फीस बढाने का सुझाव दिया गया। इनके द्वारा आगे सुझाव दिया कि नये सदस्य बनाये जावे और उनकी जगह पुराने सदस्य जो क्लब में नहीं आ रहे है या नहीं आना चाहते है उनको उनकी फीस का 10 या 15 प्रतिशत देकर रिटायर किया जावे।

क्लब सदस्य श्री नरेन्द्र सिंघवी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक सदस्य अपनी राय में व्यक्त करे न कि सदन को किसी कार्य को करने या न करने का आदेश देवें ।

तत्पश्चात् असाधारण आम सभा दिनांक 2 मई 2024 के मिनट्स पारित किये गये।

AGENDA NO. 2 : TO RECEIVE AND ADOPT THE AUDITED ACCOUNTS OF FIELD CLUB FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 :

श्री हेमन्त श्रीमाली क्लब सदस्य द्वारा कहा गया कि क्लब से किसी भी तरह की जानकारी मॉगी जाए तो वो कितने समय में मिल पाएगी, उसका समय निर्धारित करने के लिये सदन से कहा गया। इन्होंने आगे कहा की 1.34 करोड रूपया सदस्यों से बकाया है उसकी वसूली के लिये कमेटी द्वारा क्या कदम उठाए गये है उसकी जानकारी दी जाए एवं उनकी सदस्यता समाप्त की जाए।

मानद सचिव श्री उमेश मनवानी द्वारा जवाब में बताया कि हमारी कमेटी द्वारा गत एक वर्ष में दिए हुआ

गैर कानूनी पटटे निरस्त कराने, क्लब की जमीन को अपने खाते करवाने व अन्य विधिक कार्यों में लगभग 2 घण्टे रोज कोर्ट में ही गुजरता था जिसकी वजह से कही ना कही वसूली के कार्य में देरी हुई है क्लब की कानूनी लडाईयों में न्यायालय में ज्यादा समय व्यतीत होने से समय लगा एवं काफी हद तक क्लब की जमीन सम्बन्धी मसले हमने हल करने के प्रयास भी किये लेकिन इस विषय पर कार्य शुरू कर दिया है, हमारे द्वारा 170 लोगों को नोटिस भेज दिया गया है टेलीफोन, मेसेज एवं ईमेल के जरिये सदस्यों को उनकी बकाया राशि के बारे में सूचित किया जा रहा है। 15 दिसम्बर तक हम सदस्यों से बकाया कलेक्शन करने के बाद 16 दिसम्बर 2024 को बकाया राशि की सूची सदस्य के नाम के साथ नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। क्लब सदस्य हेमन्त श्रीमाली द्वारा ऐसे सदस्यों के निष्कासन की मॉग करने पर मानद सचिव श्री उमेश मनवानी द्वारा बताया कि किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने हेतु विधिक रूप में उसको तीन नोटिस दिये जाने का प्रावधान है जिसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

पूर्व कोषाध्यक्ष श्री कर्तव्य शुक्ला द्वारा कहा गया कि इस कार्यकारिणी द्वारा वित्तिय दृष्टिकोण के हिसाब से कार्य अच्छा किया है जिसके लिये सभी कार्यकारिणी सदस्य बधाई के पात्र है लेकिन 1.33 करोड़ बकाया है उसकी वसूली तुरन्त की जानी चाहिए। इनके द्वारा केपिटल खर्च के लिये एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया।

सचिव उमेश मनवानी व कोषाध्यक्ष सीएमए कमल मेहता द्वारा यह बताया गया कि गत् 12 वर्षों का लेखा जोखा देखे जाने पर यह पाया गया कि क्लब सदस्यों द्वारा चुनाव के समय ही अपनी बकाया राशि जमा कराई जाती है जिससे अगले वर्ष में बकाया जस की तस खडी रहती है।

मानद सचिव श्री उमेश मनवानी द्वारा बताया गया कि बकाया राशि ना जमा करने पर पिछले 12 सालों में 75 सदस्यों को निष्कासित किया गया जो कि हमारे कार्यकाल (श्री एस पी छाबडा एवं श्री यशवंत ऑचलिया) के दौरान ही हुआ इसके अलावा किसी भी कार्यकाल में सदस्यों का निष्कासन नहीं हुआ है।

यदि सदस्यों का 15 दिसम्बर तक इस वर्ष भी बकाया नहीं जमा हुआ और अगर हमें 100 सदस्यों को भी निष्कासित करना पडेगा तो करेंगे। सदन ने तालियॉ बजाकर समर्थन किया।

श्री दिलीप सिंह राठौड वरिष्ठ क्लब सदस्य द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी को अच्छे कार्य करने हेतु बधाई दी। इन्होंने कोषाध्यक्ष सीएमए कमल मेहता से सवाल किया कि पिछले साल आपने 22 लाख का बजट पास किया एवं खर्चा 105 लाख का कैसे हुआ ? यह अनियमितता कैसे हुई बतायी जाये। कोषाध्यक्ष सीएमए कमल मेहता ने श्री मनीष नलवाया से इस तरह का पत्र प्राप्त होना बताया एवं मानद सचिव श्री उमेश मनवानी ने बताया कि बेशक खर्च 105 लाख हुआ है लेकिन उसके एवज में हमने 57 लाख का लाभ अर्जित किया वो भी देखा जाए। 22 लाख बजट की जगह 48 लाख खर्चा हुआ है तो वर्ष 2023–2024 के 365 दिनों में हमने 31 दिन ईवेण्ट भी किये है जिसे सदस्यों ने काफी सराहा है, क्लब में पारिवारिक माहौल बन गया है जिसकी कल्पना हम वर्षों से करते रहे थे। सदस्यों के हित में ऐसा किया गया है।

क्लब सदस्य श्री यशवर्धन राणावत ने इस हेतु विरोध किया कि छोटे छोटे हिसाब कार्यकारिणी से मॉगना ठीक नहीं है। वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा जो कार्य किया है बहुत ही अच्छा कार्य किया है। छोटे खर्चों का हिसाब नहीं मॉगना चाहिये ।

क्लब सदस्य श्री फारूख कुरेशी द्वारा कहा गया कि कोई भी सदस्य यदि बोले तो चेयर की परमिशन से ही बोले अन्यथा नहीं बोले जिसे सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

कोषाध्यक्ष सीएमए कमल मेहता द्वारा सदन को बताया कि सभी बिन्दुओं में हमने खर्चों के साथ आय को भी दिखाया है जैसे की क्लब आई डी कार्ड में 5.60 लाख खर्चा दिखाया है लेकिन 5.10 लाख रूपये की कमाई को नहीं देखा जा रहा है। इस तरह सारे बिन्दु पर आय को एवं खर्चे को अलग दिखाया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

क्लब सदस्य श्री राहुल हरण द्वारा कहा गया कि इस वर्ष बहुत अच्छा कार्य किया है और हमने कार्यक्रमों का बहुत आनन्द लिया है।

श्री मनीष नलवाया द्वारा कहा गया कि लोगो ने कमेटी के बेहतरीन कार्यकाल के लिए तालियाँ बजाई और वाकई में कमेटी के बेहतरीन कार्य किया है जिसके लिए उन्होंने सदस्यों से एक बार फिर तालियाँ बजाने का अनुरोध किया।

तालियाँ बजाने के उपरान्त उन द्वारा ये पूछा गया कि चाहे ये कमेटी चाँद तारे भी तोड़ लाए तो इससे इस कमेटी को क्या उससे संविधान तोड़ने का लाईसेन्स दिया जा सकता है अगर सदस्य दें तो मैं जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा और नहीं तो मैं सवाल पूछूँ ।

श्री मनीष नलवाया द्वारा आगे कहा गया कि उनके द्वारा एक पत्र क्लब कोषाध्यक्ष को दिया गया जिसका जवाब उनके द्वारा ही दिया जाना चाहिये। क्लब उपाध्यक्ष श्री राकेश चोर्डिया द्वारा उनको रोका गया एवं कहा गया कि उनके द्वारा एक भ्रामक संदेश सदस्यों को भेजा गया कि "तमाशा देखना हो तो सभा में आ जाना।" इस तरह के संदेश की कडी भर्त्सना की एवं उनसे इस तरह के सदेश के लिये स्पष्टीकरण मॉगा गया। इस पर श्री मनीष नलवाया द्वारा मैसेज भेजना स्वीकार किया और कहा कि यहॉ मैं सवाल पूछने आया हूं और मैं बाध्य नहीं हूँ आपके सवालों के जवाब देने को। साथ ही उन द्वारा यह कहा गया कि सदन उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहे ले लिया जावे। इस पर उपाध्यक्ष जी द्वारा कहा गया कि इस हेतु निर्धारित कमेटी को निर्णय लेने हेतु कहा गया एवं कमेटी के निर्णयानुसार जो भी उचित हो हो कार्यवाही वो की जावेगी।

इनके पत्र के प्रत्युत्तर में सीएमए कमल मेहता ने बताया कि श्री मनीष नलवाया द्वारा 105 लाख के खर्चे का विरोध किया लेकिन इनके द्वारा यह नहीं देखा गया कि हमने प्रत्येक बिन्दु में पारदर्शिता के लिये आय अलग से दिखाई है ताकि सदस्यों को यह पता चले कि प्रत्येक बिन्दु में खर्चें के साथ आय कितनी हो रही है।

क्लब सदस्य श्री शुरवीर सिंह चौधरी एवं अन्य सदस्य द्वारा विरोध किया कि इनके पत्र का जवाब पत्र से दिया जाय सारा वृतांत सुनाकर सदस्यों एवं सदन का समय खराब नहीं करे। चेयरमेन श्री राकेश चोर्डिया द्वारा स्वीकृत कर कहा गया कि सदन के कथनानुसार इनके पत्र का जवाब दे दिया जाएगा।

पूर्व सचिव श्री एस पी छाबड़ा द्वारा सुझाव दिया गया कि पॉच सीए सदस्यों की कमेटी बनाई जानी चाहिये।

क्लब सदस्य श्री गजेन्द्र सोमानी द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी को अच्छा कार्य करने पर बधाई दी एवं

स्वीमिंग पूल को पूरे वर्ष चलाने का अनुरोध किया ताकि सदस्यों को इस सुविधा का लाभ पूरे वर्ष मिल सके।

सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

सीए अनिल शाह द्वारा कार्यकारिणी को अच्छे कार्य करने पर एवं बहुत सारे नये क्लबों से एफीलेशन करने पर बधाई दी और कहा की वार्षिक साधारण सभा के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लगानी चाहिये कि उस सभा में क्या निर्णय हुए एवं उसके बाद क्या कार्य किये गये इस तरह का ब्यौरा साथ में लगाने का सुझाव दिया। इन्होंने आगे सुझाया कि प्रत्येक तीन माह में आंतरिक अंकेक्षक की रिपोर्ट भी इस मिनिट्स के साथ लगावें एवं बजट के अनुसार यदि खर्चा ज्यादा हो गया तो रिवाइज्ड बजट भी लगा सकते है। नये आश्रितों के विषय में इन्होंने कहा कि कॉन्स्टीट्यूसन कमेटी बनाकर उसको ये विषय दे देंवे एवं नये सदस्य बनने वाले आश्रितों को लिये यह देखा जाय कि वे अपने अभिभावकों पर आश्रित है या नहीं इस तरह का सुझाव भी इनके द्वारा दिया गया।

क्लब सदस्य श्री हेमन्त श्रीमाली द्वारा सवाल किया गया हमारे क्लब की बेलेन्स शीट किस एक्ट के तहत बनती है एवं कुछ क्लब के रिटायर्ड सीए की कमेटी बनाने का सुझाव दिया। सचिव महोदय द्वारा बेलेन्स शीट इनकम टैक्स के तहत बनना बताया गया।

सीए रमेश चन्द्र सोनी क्लब सदस्य द्वारा कहा गया की जो बेलेन्स शीट बनी है वो कौनसे एक्ट तहत कम्पलाइन्स कर रही है इसमें लिखा जाना चाहिये यदि नहीं लिखा तो वो गलत है। मानद सचिव श्री उमेश मनवानी द्वारा कहा गया कि इस तरह बिन्दु को नोट कर लिया है और अगली बेलेन्स शीट के साथ इसे भी अपडेट दिया जायेगा।

पूर्व उपाध्यक्ष श्री आर सी गर्ग द्वारा मानद सचिव के निवेदन करने पर कहा गया कि किसी भी कम्पनी के अकाउण्ट्स बनते है तो वह अकाउण्ट्स के स्टेण्डर्ड के हिसाब से ही बनते है और वर्तमान 2023–24 के अकाउण्ट्स भी सही है और इस सदन को इसे एडोप्ट करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरे इन्होंने कहा की विधान सबसे उपर है उसमें परिवर्तन करना है तो उसका प्रोपर सिस्टम है उसे एडोप्ट कर विधान में परिवर्तन कर सकते है। उन द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी को अच्छा कार्य करने पर बधाई दी।

पूर्व कोषाध्यक्ष श्री कर्तव्य शुक्ला द्वारा क्लब अध्यक्ष महाराणा सा0 स्वर्गीय श्री महेन्द्र सिंह जी मेवाड के स्थान पर उनके सुपुत्र महाराज कुमार सा श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया। क्लब उपाध्यक्ष श्री राकेश चोर्डिया द्वारा बताया गया कि नियमानुसार उनके राजतिलक पश्चात् ही इस प्रक्रिया को अपनाकर यह कार्य किया जाएगा। श्री कर्तव्य शुक्ला द्वारा क्लब चुनाव में शराब पार्टी बन्द करने का सुझाव दिया गया एवं कहा गया कि इस तरह की आचार संहिता पर विचार किया जाना चाहिये।

क्लब सदस्य श्री यशवर्धन राणावत ने सदन को बताया कि 25 नवम्बर 2024 को महाराज कुँवर श्री विश्व राज सिंह जी का राज्य अभिषेक चित्तौड में होगा जिसमें उन द्वारा सभी क्लब सदस्य को पधारने का अनुरोध किया गया।

पूर्व सचिव श्री सुधीर बक्षी द्वारा वर्तमान सचिव श्री उमेश मनवानी, उपाध्यक्ष श्री राकेश चोर्डिया एवं कार्यकारिणी द्वारा जो क्लब जमीन को अपने खाते में दर्ज कराने के सम्बन्ध में जो कार्य किया वो

प्रशंसनीय है। इसके तहत अब आने वाले समय में कोई भी सरकारी संस्थान क्लब को टेक ऑवर नहीं कर सकेगा। इसको क्लब के इतिहास में एक बहुत बडी उपलब्धि बताया। सदन ने तालियॉ बजाकर स्वागत किया।

क्लब सदस्य श्री चेतन लुणदिया ने कहा कि क्लब में हॉनरेरी सदस्य बनाने का क्या प्रावधान है एवं कौन कौन बन सकते है। इसकी जानकारी दी जावे। क्लब उपाध्यक्ष श्री राकेश चोर्डिया द्वारा इस तरह की जानकारी बहुत जल्दी उनको देने हेतु आश्वासन दिया गया।

पूर्व सचिव श्री टीनू माण्डावत के आग्रह करने पर कि ओवरएज आश्रितों के बारे में आयु एवं अन्तिम दिनांक क्या होगी इस पर मानद सचिव श्री उमेश मनवानी द्वारा पुनः पुष्टि की, की इस हेतु आयु सीमा 28 निर्धारित कि है एवं अन्तिम दिनांक 31 दिसम्बर 2024 होगी। श्री टीनू माण्डावत द्वारा आगे पूछा गया कि कोई भी सदस्य अपने साथ कितने गेस्ट, कितनी बार ला सकते है और उन्हें तय सीमा से ज्यादा गेस्ट लाने पर रोका जाना चाहिये साथ ही आश्रित सदस्यों को गेस्ट लाने पर रोक लगाए जाने का सुझाव दिया है। इस पर मानद सचिव ने बताया कि इस तरह का नियंत्रण रोजमर्रा में मेनेजेबल नहीं है परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गेस्ट के साथ सदस्य जरूर आवे।

सभा के अन्त में क्लब अध्यक्ष महाराणा सा0 स्वर्गीय श्रीमान् महेन्द्र सिंह जी मेवाड को दो मिनट का मौन रखकर श्रृद्धांजलि दी गई एवं महामृत्यून्जय मंत्र का जाप किया गया।

(राकेश चोर्डिया)
उपाध्यक्ष

(उमेश मनवानी)
मानद सचिव